IV- 4/12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रू. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 636682

07 DEC

77

Attested Hardcode

स्टाम्प शुल्क : रू0 500/-

वार्ड :- रफी मोहम्मद किदवई नगर

ट्रस्ट डीड-न्यास पत्र

यह अभिलेख आज दिनांक 03.01.2017 को श्री आलोक कुमार सिंह आयु लगभग 43 वर्ष निवासी-4/197, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम :: लाईफ लाईन फाउन्डेशन
(Life Line Foundation)

Alok Kumar Singh

क्रमांक संख्या........ 13414

स्टाम्प विक्रय की तिथि........ 03/10/2017

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन........ लेटर

स्टाम्प क्रेता का नाम........ लाइफ लाइन फाउंडेशन

व पूरा पता........ 4/197 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि........ 500/-

श्रीमती रेखा अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
निबन्धन भवन, लखनऊ
लाइसेन्स नo:-160
लाइसेन्स अवधि 31-03-2019 तक

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

XGF1896786

नाम : आलोक सिंह
Name : ALOK SINGH

पिता का नाम : भरत लाल
Father Name : BHARAT LAL

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्मतिथि/आयु :
Date Of Birth / Age : 16/10/1973

पता: म.स.-4/197, , विशाल खण्ड-4 गोमती नगर, , पुलिस थाना-गोमती नगर, तहसील-लखनऊ, जिला-लखनऊ, पिन कोड-226010
Address : H. N.-4/197, VISHAL KHAND-4 GOMTI NAGAR, Police Station-GOMTI NAGAR, Tahsil-Lucknow, District-Lucknow, Pin Code-226010

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुद्रित हस्ताक्षर
Scanned Signature of Electoral Registration Officer

तारीख / Date : 16/04/2014

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम : 174 - लखनऊ मध्य
Assembly Constituency No. & Name : 174 - Lucknow Central

भाग संख्या और नाम : 317 संस्कृत विद्या पीठ कक्ष न0-07
Part No and Name : 317 SANSKRIT VIDHYA PEETH ROOM NO-07

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

Alok Kumar Singh

UNION OF INDIA **Driving Licence** (UP) (NT)

UP45 20140014538

जारी करने की तिथि / Date of Issue
04/12/2014

वैधता / Validity
0[illegible]/12/2034

जन्म तिथि / Date of Birth
01/03/1989

Blood Group
Unknown

नाम / Name
SNEH KUMAR VERMA

पिता/पति का नाम / Son/Daughter/Wife of
MANIRAM VERMA

स्नेह कुमार वर्मा

UP45 20140014538

UP01937356MT

LMV	MCWG
04/12/2014	04/12/2014

(UP)

Form 7 Rule 16(2)

पता / Address
VILL-JAINAPUR,POST-SIKANDARPUR
PS-SAMMANPUR
AMBEDKAR NAGAR -

Sneh Kumar
Holder's Signature

जारीकर्ता / Issuing Authority Sign
Ambedkar Nagar

Alok Kumar Singh

UNION OF INDIA **Driving Licence** (UP) (NT+T)

UP50 19970006121

जारी करने की तिथि / Date of Issue: 09/04/1997

वैधता / Validity: (NT) 08/04/2017 (T) 11/12/2018

जन्म तिथि / Date of Birth: 15/07/1975

Blood Group: UNKNOWN

नाम / Name

AJAY KUMAR YADAV

पिता/पति का नाम / Son/Daughter/Wife of

RAMSINGAR YADAV

अजय कुमार यादव

UP50 19970006121

TRANS	LMV	MCWG
12/12/2006	09/04/1997	09/04/1997

(UP)

Form 7 Rule 16(2)

पता / Address
VILL- AMDAHI
PO- KOLHU KHOR PS- JAHANAGANJ
DISTT- AZAMGARH

Holder's Signature

जारीकर्ता / Issuing Authority Sign
AZAMGARH

Alok Kumar Singh

2. ट्रस्ट का पता :: 4/197, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

3. शाखा कार्यालय :: लाईफ लाईन हास्पिटल, 496, मड़या, आजमगढ़

4. <u>ट्रस्ट में लगाया गया धन</u>

ट्रस्ट में लगाया धन 5000 रूपये (पाँच हजार रूपये) नगद धनराशि श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है। भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है। जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता हैं सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा। पंजीकरण के समय ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नही है।

5. <u>ट्रस्ट के तत्व</u>

मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

Alok Kumar Singh

उपरोक्त अधिनियत एवं तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे जिसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा प्रबन्धकारिणी कहा जायेगा जो ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त प्रतिष्ठानों को संचालित एवं नियोजित करेगा।

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम
1.	डा0 पियूष कुमार सिंह	श्री भरत लाल	4/197, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	मुख्य न्यासी / अध्यक्ष/संस्थापक
2.	डा0 अनूप कुमार सिंह	श्री भरत लाल	4/197, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	न्यासी/उपाध्यक्ष
3.	श्री आलोक कुमार सिंह	श्री भरत लाल	4/197, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	प्रबन्ध निदेशक/सचिव/न्यासी
4.	श्रीमती इन्दुबाला	श्री भरत लाल	9/69, रैदोपुर नई बस्ती, आजमगढ़।	न्यासी/कोषाध्यक्ष
5.	श्री भरत लाल	श्री शिवदास	9/69, रैदोपुर नई बस्ती, आजमगढ़।	न्यासी
6.	श्रीमती आरती यादव	श्री आलोक कुमार सिंह	9/69, रैदोपुर नई बस्ती, आजमगढ़।	न्यासी
7.	डा0 गायत्री कुमारी	डा0 अनूप कुमार सिंह	9/69, रैदोपुर नई बस्ती, आजमगढ़।	न्यासी
8.	डा0 सुमन यादव	डा0 पियूष कुमार सिंह	9/69, रैदोपुर नई बस्ती, आजमगढ़।	न्यासी

Alok Kumar Singh

6. **<u>ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य :</u>**

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षक्ष संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय माहविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, लाईफ लाईन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, आजमगढ़ को संचालित करना चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजो एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीडा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना , शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिये सम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिये ट्रस्ट द्वारा इस सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय,

Alok Kumar Singh

अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कलाकेन्द्र उद्यान साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंगहोम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदों मे जिला राज्य व केन्द्रीय प्रशासन कास समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रिय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0 कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा-आश्रम, अनाथालय, वृद्ध-आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ

Alok Kumar Singh

आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहायोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयो, अन्धविश्वासों के निवारणा में राष्ट्रीय, अर्न्राष्ट्रीय सेवाओं का समय–साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, उर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं सहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा,

Alok Kumar Singh

परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म, खेल–कूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं करीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विद्यायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संसीान, रिमोट–सेंसिग, ललित कला, चित्रकला, वैकप्लिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनाी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें

Alok Kumar Singh

आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक, तकनीकी चिकित्सा व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानो/निजी विश्वविद्यालय केन्द्रों आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना की जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

7. <u>ट्रस्ट कार्य क्षेत्र</u> :: सम्पूर्ण भारत

8. <u>ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य</u>

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा ट्रस्टियों द्वार किया गया धन एवं दान आदि को धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाता

Alok Kumar Singh

किसी भी बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। धनराशि के लेन–देन करने तथा बैंक खाता के संचालन मुख्य ट्रस्टी, सचिव/प्रबन्धक/अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के किसी एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित किसी ट्रस्टी/सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है।

2. इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

9. **<u>ट्रस्टियों की नियुक्ति</u>**

सभी ट्रस्टी आजीवन सदस्य होंगे, किसी भी सदस्य के मृत्यु बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी को सम्मिलित कर सकता है जिसके लिये शुल्क पाँच लाख रूपये होगा। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नही होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्ध निदेशक सचिव/उपाध्यक्ष/ ट्रस्टी

Alok Kumar Singh

अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ट्रस्टी अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा उनके उत्तराधिकारी को नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार स्वतः प्रदत्त होगा, उपरोक्त तीनों ट्रस्टियों में अकास्मिक मृत्यु की स्थिति में उनका विधिक उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का स्वतः मुख्य ट्रस्टी हो जायेगा।

10. संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य तकनीकी संस्थायं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे, की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/सचिव एवं ट्रस्टी मिलकर करेंगे यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति द्वारा नामित करेंगे।

11. ट्रस्ट प्रमुख

डा0 पियूष कुमार सिंह इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी कहे जायेंगे जो ट्रस्ट प्रमुख होंगे। मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव/उपाधयक्ष तीनों द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा जिन्हें पृथक–पृथक अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का पूर्ण

Alok Kumar Singh

अधिकार होगा। तीनों की सहमति के आधार पर ही मुख्य ट्रस्टी का चयन होगा।

12. **ट्रस्ट की बैठक**

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/ प्रबन्ध कारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को 03 दिन पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलायी जा सकती है, बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबन्धक /सचिव द्वारा बुलायी जायेगी बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना आवश्यक है।

13. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकारी एवं कर्त्तव्य**

1. अध्यक्षः बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करेंगे तथा मीटिंग बुलाने हेतु सचिव को निर्देशित करेंगे। ट्रस्ट के विकास के सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

2. **प्रबन्ध निदेशक/ सचिव**

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

Alok Kumar Singh

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगें।

3. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठको की अध्यक्षता करना।

4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णय मत देना।

5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6. ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्यास के विकास के लिये विभिन्न संसाधन एकत्रित करना व ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

7. ट्रस्ट के संस्थाओं के लिये भूमि–भवन का क्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

8. मुख्य ट्रस्ट/प्रबन्धक निदेशक/सचिव ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये बेच या खरीद सकता है।

Alok Kumar Singh

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिये सहयोग, चन्दा, आम जनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, ऐसासिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना। जिसके लिये मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक निदेशक/सचिव अधिकृत होंगे।

10. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव के पास होगा।

11. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक निदेशक/सचिव किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा।

12. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

13. ट्रस्ट के लिये नवीन सदस्य बनाने हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्ध निदेशक/सचिव अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप से

Alok Kumar Singh

प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियामें के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

14. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रिया–कलापों में निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी। जिसके लिये मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्ध निदेशक/सचिव को अधिकार प्रदत्त होगा।

15. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रम, क्रिया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओ के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

16. ट्रस्ट के ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वादी की पैरवी करना।

AJoK Kumar Sud

17. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चेको ट्रस्टी, बन्धक, विलखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

18. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में लिये गये निर्णय का पालन करना।

19. ट्रस्ट के तरफ से पत्राचार करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो का सम्पादन करना।

कोषाध्यक्ष :

1. ट्रस्ट के लिये चल अथवा अचल सम्पत्ति के अड़चन पर कार्यवाही एवं सुझाव देना।

2. ट्रस्ट के आर्थिक स्थिति को सदृढ़ करने में योगदान एवं परामर्श देना।

सदस्य ट्रस्टी : बैठकों में भाग लेकर ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

14. **लेखा परीक्षक**

Alok Kumar Singh

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
5,000.00	100.00	100	200.00	0

श्री आलोक कुमार सिंह

पुत्र श्री भरत लाल

Alok Kumar Singh

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 4/197 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/1/2017 समय 4:13PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Alok Kumar Singh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
3/1/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री आलोक कुमार सिंह Alok Kumar Singh
पुत्र श्री भरत लाल
पेशा व्यापार
निवासी 4/197 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान स्नेह कुमार वर्मा स्नेह कुमार वर्मा
मनी राम वर्मा

पेशा व्यापार

निवासी जैनापुर पो0 सिकंदरपुर जिला अम्बेडकरनगर

व अजय कुमार यादव अजय कुमार यादव
राम सिंगार यादव

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम अमदही पो0 कोल्हुखोर जिला आजमगढ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
3/1/2017

ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव के मार्ग के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य हो ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्ट प्रमुख/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवाया। संस्था के आय–व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।

15. <u>संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन</u>

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मुख्यट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं /शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्त्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरूप होंगे।

Alok Kumar Singh

न्यासी

Registration No.: 4 Year : 2,017 Book No. : 4

0101 आलोक कुमार सिंह Alok Kumar Singh

भरत लाल

4/197 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

व्यापार

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/ महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति ाक गठन मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं है तो मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक निदेशक/ सचिव अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालयं की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन मुख्यट्रस्ट/प्रबन्धक निदेशक/सचिव मिलकर करेंगे। संचालित संस्थानों में निम्न पदाधिकारियों होंगे।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	प्रबन्धक/सचिव	एक
4.	उपप्रबन्धक/उपसचिव	एक
5.	कोषाध्यक्ष	एक
6.	लेखापरीक्षक/ऑडीटर	एक
7.	सदस्य	एक

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा लिया यगा निर्णय सर्वमान्य होगा, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के विरोधी गतिविधियों सम्मिलित पाया जाता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत निष्कासित कर सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिकार देने हेतु सक्षम होगा।

Alok Kumar Singh

गवाह

ration No.: 4 Year : 2017 Book No. : 4

W1 स्नेह कुमार वर्मा स्नेह कुमार वर्मा

मनी राम वर्मा

जैनापुर पो0 सिकंदरपुर जिला अम्बेडकरनगर

व्यापार

W2 अजय कुमार यादव अजय कुमार यादव

राम सिंगार यादव

ग्राम अमदही पो0 कोल्हुखोर जिला आजमगढ

व्यापार

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकावे व सिकाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारी जनों से सलाह मशवरा कर के लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक :– 03.01.2017

1.

Alok Kumar Singh

(आलोक कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक/सचिव/न्यासी

स्नेह कुमार वर्मा

(स्नेह कुमार वर्मा)
पुत्र श्री मनी राम वर्मा
नि0 जैनापुर, पो0 सिंकदरपुर
जिला–अम्बेडकर नगर।

2.

अजय कुमार यादव

(अजय कुमार यादव)
पुत्र श्री राम सिंगार यादव
नि0 ग्राम–अमदहीं, पोस्ट–कोल्हुखोर
जिला–आज़मगढ़

Alok Kumar Singh

आज दिनांक **03/01/2017** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **510**

पृष्ठ सं. **239** से **274** पर कमांक **4**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

3/1/2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 593245

NOTARY R.C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

वार्ड– रफीअहमद किदवई नगर

स्टाम्प – 500/–

पूरक–विलेख

यह पूरक विलेख लाइफलाइन फाउण्डेशन द्वारा प्रबन्धक निदेशक/सचिव/न्यासी आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री भरत लाल निवासी–4/197, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का हूँ। जो

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Alok Kumar Singh

क्रमांक 433 दिनांक 20-7-19

प्रयोजन

कीमत 500

नाम [illegible]

पता [illegible] गोमती नगर

प्रभा कान्त शुक्ला ल० नं० 127

अवधि 31-3-2023 तक कलेक्ट्रेट-लखनऊ

सिलसिला का नम्बर	बही	जिल्द	पृष्ठ	रजि.की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता का नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					लाइफलाइन फाउण्डेशन द्वारा प्रबन्धक निदेशक/सचिव/न्यासी आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री भरत लाल निवासी-4/197, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ मो-9415207550, पेशा-व्यापार	
					स्नेह कुमार वर्मा पुत्र-मनीराम पता-263, जैनापुर, सिकन्दरपुर अम्बेडकर नगर, उ.प्र. मो-9125530652, पेशा-नौकरी	
					पंकज कुमार श्रीवास्तव पुत्र-ब्रहम प्रकाश श्रीवास्तव पता-647एफ/204, शिवबिहार सेक्टर-आई, जानकीपुरम्, लखनऊ मो-9450094718, पेशा-नौकरी	

NOTARY R.C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 UTTAR PRADESH

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

XGF1896786

नाम : आलोक सिंह
Name : ALOK SINGH
पिता का नाम : भरत लाल
Father Name : BHARAT LAL

Alok Kumar Singh

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्मतिथि/आयु : 15/10/1973
Date Of Birth / Age
Address : H. N. 4/197, , VISHAL KHAND-4 GOMTI NAGAR, Police Station-GOMTI NAGAR, Tahshil-Lucknow, District-Lucknow, Pin Code-226010

Scanned Signature of Electoral Registration Officer

तारीख / Date : 16/04/2014

Assembly Constituency No & Name
174 - Lucknow Central

Part No and Name : 317 SANSKRIT VIDHYA PEETH ROOM NO-07

नोट / Note :

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

NOTARY ★ R.C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH

भारत सरकार
Government of India

स्नेह कुमार वर्मा
Sneh Kumar Verma
जन्म तिथि / DOB 01/03/1989
पुरुष / Male

3953 0872 7942

आधार - आम आदमी का अधिकार

स्नेह कुमार वर्मा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: मनीराम, 263, जैनापुर, सिकंदर पुर, अम्बेडकर नगर, सिकंदरपुर, उत्तर प्रदेश, 224186

Address:
S/O: Maniram, 263, jainapur, Sikandar Pur, Ambedkar Nagar, Sikandarpur, Uttar Pradesh, 224186

3953 0872 7942

1947 | 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

[redacted]

पंकज कुमार श्रीवास्तव
Pankaj Kumar Srivastava
DOB: 26-08-1980
Gender:Male

7367 8156 7297

आधार - आम आदमी का अधिकार

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

आधार

S/O ब्रह्मा प्रकाश श्रीवास्तव, ६४७-फ/२०४, शिव विहार सेक्टर-आई, जानकीपुरम, बता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226021

Address:
S/o Brahma Prakash Srivastava, 647-f/204, Shiv Vihar Sector-i, Jankipuram, Batha, Lucknow, Uttar Pradesh, 226021

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

Pankaj

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

मैंने एक न्यास-पत्र दिनांक-03.01.2017 को निष्पादित किया था। जो न्यास-पत्र दिनांक-03.01.2017 को बही संख्या-4, जिल्द-510, पृष्ठ-239/274, पर क्रमांक-4 पर उपबिनन्धक कार्यालय-द्वितीय, लखनऊ में पंजीकृत है। विदित हो कि उक्त न्यास-पत्र में कुछ पैराग्राफ लिखना छूट गये थे, जिसका न्यास-पत्र में होना अतिआवश्यक है, जो निम्नवत हैं :-

1. <u>न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन</u>

आवश्यकतानुसार न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए सदस्यों की आम सभा ही अधिकृत होगी। ऐसे कार्य के लिए संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन के प्रारूप एवं उसके उद्देश्य की सूचना सदस्यों को सभा की सूचना के साथ ही भेजनी होगी। विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ही किया जा सकेगा।

NOTARY ★ R.C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

Alok Kumar Singh

SIGNATURE ATTESTED

20/8/19

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

2. न्यास की स्थापना

न्यास की स्थापना इसको पंजीकृत कराने, प्रारम्भिक बैंक खाता खोलने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराने एवं दान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने अथवा अन्य प्रारम्भिक प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रारम्भिक न्यासकर्ताओं को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

3. न्यास की अचलता/अपरिर्वतनीयता

न्यास द्वारा गठित न्यास विलेख अपरिर्वतनीय होगा।

4. नागरिकों को लाभ

न्यास द्वारा किसी भी जाति/धर्म/पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना सभी वर्ग के लिये कार्य किया जायेगा। इस न्यास की स्थापना भारत के सभी नागरिकों के लाभ/सुविधा हेतु की गयी है।

5. न्यास का समापन

आवश्यकता होने पर सदस्यों के बहुमत से न्यास का समापन किया जा सकता है, ऐसी हालत में न्यास की सारी देनदारियां चुकाने के बाद जो भी सम्पत्ति बचे उसे या तो समान उद्देश्यों वाली धार्मिक संस्था को सौंप दी जायेगी, अथवा न्यायालय के सुपुर्द करके उसके

NOTARY ★ R.C. VERMA ★ Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Alok Kumar Singh

आदेशानुसार सम्पत्ति'का हस्तानान्तरण किया जायेगा, किसी भी हालत में न्यास की सम्पत्ति अथवा उसका कोई भी भाग न्यास के सदस्यों में वितरित नही किया जायेगा।

6. न्यास के कोष/सम्पत्ति का उपयोग

न्यास के कोष एवं सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जायेगा।

यह कि न्यास-पत्र में उपरोक्त पैराग्राफ का समाहित करना न्यास के हित अति आवश्यक है।

यह कि इस पूरक विलेख न्यास-पत्र का एक अनिवार्य अंग रहेगा, और उसी के साथ मिलकर पढ़ा, माना व समझा जायेगा।

यह कि इस पूरक-विलेख द्वारा कोई चल व अचल सम्पत्ति का समावेश नही हो रहा है, तथा किसी प्रकार से स्टाम्प देयता प्रभावित नही हो रही है। अन्यथा की स्थिति में प्रबन्धक निदेशक द्वारा स्टाम्प देने को बाध्य होगा।

लिहाजा यह पूरक विलेख लिखकर अपने स्वस्थ्य चित्त मन से प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी जोर दबाव नाजायज के लिख दिया ताकि

★ NOTARY ★ R.C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Alok Kumar Singh

सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक-20.07.2019

हस्ताक्षर
Alok Kumar Singh
(आलोक कुमार सिंह)
प्रबन्धक निदेशक/सचिव/न्यासी

गवाहान :-

1. फोटो

स्नेह कुमार वर्मा
नाम-स्नेह कुमार वर्मा
पुत्र-मनीराम
पता-263, जैनापुर, सिकन्दरपुर
अम्बेडकर नगर, उ.प्र.

2. फोटो

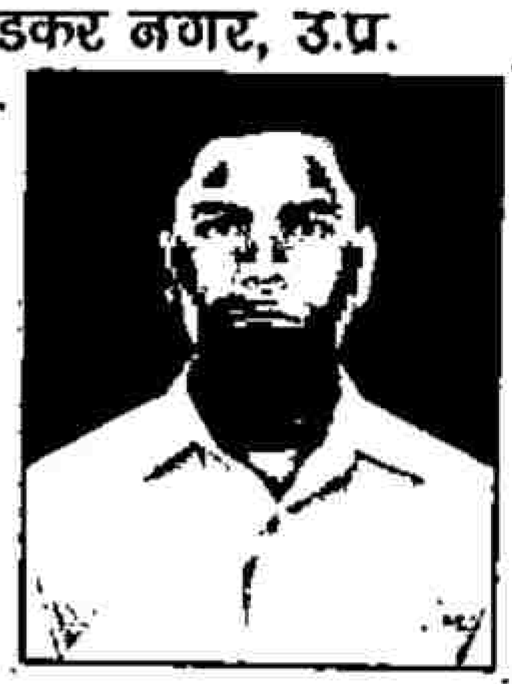

नाम-पंकज कुमार श्रीवास्तव
पुत्र-ब्रहम प्रकाश श्रीवास्तव
पता-647एफ/204, शिवबिहार
सेक्टर-आई, जानकीपुरम्,
लखनऊ

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

टाईपकर्ता
(मो. शानू)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(टी. पी. शुक्ला)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000